रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 21, 1994/अग्रहायण 30, 1916
No. 210] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 21, 1994/AGRAHAYANA 30, 1916

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

सार्वजनिक सूचना सं. प्रतिग्रदायगी पी.एन.-12/94-प्र.अ.

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1994

फा. सं. 609/101/94-प्र.अ./फा. सं. 600/1108/94-प्र.अ.—भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I के खंड (i) में प्रकाशित सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रति अदायगी नियमावली, 1971 (अधिसूचना सं. 52/फा. सं. 602/2/70-प्र.अ.) के नियम 4 के साथ पठित नियम 3 के तहत केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित दिनांक 31 मई, 1994 की मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. प्रतिग्रदायगी पी.एन.-1/94 में निम्नलिखित संशोधन करती है :

उपक्रमांक संख्या 1108 के सामने "प्रतिग्रदायगी की दर" स्तंभ के अंतर्गत "215.00 रु. (केवल दो सौ पन्द्रह रु.) प्रति मीट्रिक टन" अंकों और शब्दों के स्थान पर "450.00 रू. (केवल चार सौ पचास रू.) प्रति मीट्रिक टन अंक और

शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, बशर्ते कि निर्यातकर्त्ता कारखाने के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभारी से यह प्रमाणपत्र/साक्ष्य प्रस्तुत करे कि निर्यात उत्पाद के विनिर्माण में एक पारे मुक्त (पारे के 0.02 पी. पी. एम.) (प्रति दस लाखवें भाग से अधिक नहीं) हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया गया है।

ए. के. मदान, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

PUBLIC NOTICE

No. Drawback PN-12/94-DBK

New Delhi, the 21st December, 1994

F. No. 609/101/94-DBK/F. No. 600/1108/94-DBK.—Under Rule 3 read with Rule 4 of the Customs and Central Excise Duty Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK) published in the Section (i) of the Part I of the Gazette of India Extraordinary, the Central Government hereby make the following amendments in the Ministry's Public Notice No. Drawback PN-1/94, dated the 31st May, 1994, as amended from time to time :

Against the sub serial No. 1108, under the column "Rate of Drawback" for the figures and words, "Rs. 215.00 (Rupees two hundred and fifteen only) per metric tonne", the figures and words, "Rs. 450.00 (Rupees four hundred and fifty only) per metric tonne subject to the condition, that the exporter produces a certificate/evidence from the Central Excise officer-in-charge of the factory that a mercury free Hydrochloric Acid [not exceeding the limit of 0.02 ppm (parts per million of mercury in Hydrochloric Acid)], has been used in the manufacture of the export product" shall be substituted.

A. K. MADAN, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995